

4/3/2017-सीएस-1(घ)

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

द्वितीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 18 फरवरी, 2019

आदेश

श्री ए. के. देवरी, निदेशक (सीएसएल सं. 4441-ए) जो वर्तमान में गृह मंत्रालय में कार्यरत हैं, को तत्काल प्रभाव से अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय में तैनात किया जाता है।

2. इस विभाग में अधिकारी की तैनाती के अधीन की अवधि अर्थात् 11.01.2019 से इस आदेश के जारी होने तक की अवधि को 'अनिवार्य प्रतीक्षा' माना जाएगा और इस अवधि के वेतन और भत्ते का भुगतान अधिकारी को अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।


(के. श्रीनिवासन)

अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफैक्स: 24642705

सेवा में,

1. संबंधित अधिकारी,
2. संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. संयुक्त सचिव (प्रशासन), अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, 11वां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लाधी रोड, नई दिल्ली-110003
4. अवर सचिव (यू)/अवर सचिव (एपीएआर), डीओपीटी
5. गार्ड फाइल।